बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 21.08.2015

आज राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आसन्न बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन के विभिन्न बिन्दूओं पर जानकारी देने एवं प्रत्येक विषय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अद्यतन जानकारी से अवगत कराने के लिए बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया (मार्क्सरिस्ट), इन्डियन नेशनल कॉंग्रेस, नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाईटेड), लोक जन शक्ति पार्टी एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कुल 22 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में श्री अरविन्द कुमार चौधरी एवं श्री आर0 लक्ष्मणन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, संयुक्त सचिव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एवं मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए।

बैठक में निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन, आदर्श आचार संहिता, मतदाता सूची के सतत् अद्यतीकरण, ई0वी0एम0 तथा वी0वी0पैट के संचालन तथा निर्वाचन व्यय अनुश्रवण से संबंधित विषयों पर भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन निर्देशों से अवगत कराते हुए विस्तार से विषय वस्तु की जानकारी दी गयी। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा आसन्न निर्वाचन में मतपत्र पर फोटो लगाने, नगद राशि के हस्तांतरण, अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र में किसी विवरण के स्थान पर खाली जगह नहीं छोड़े जाने, वाहन परिचालन की अनुमति, पेड न्यूज आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा भी इन विषयों पर अपने बहुमूल्य सुझावों को रखा गया। ई0वी0एम0 तथा वी0वी0पैट का व्यवहारिक प्रशिक्षण/जानकारी भी प्रदान किया गया। इस कार्य के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय के पदाधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की विभिन्न शंकाओं के समाधान के लिए उपलब्ध रहे।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान बी0एल0ओ0 द्वारा अपना कार्य सही ढ़ंग से नहीं करने, निर्वाचक का सही फोटो नहीं होने एवं निर्वाचक सूची के अन्य त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त मतदान के पूर्व

मॉक पॉल का डाटा डिलीट करने, अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की शंकाओं के समाधान के लिए प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक ए0आर0ओ0 को नामित करने, मतदाता पहचान पत्रों का शत–प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने, पेड न्यूज को नियंत्रित करने तथा आदर्श आचार संहिता को समान एवं पारदर्शी तरीके से लागू करने का अनुरोध किया गया।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विस्तार से बिन्दुवार राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान करते हुए निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण से संबंधित निर्देशों की जानकारी दी गयी। यह बताया गया कि यदि उनके संज्ञान में किसी योग्य व्यक्ति का नाम छूट गया है अथवा किसी निर्वाचक के नाम विलोपित हो गया है तो ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ने के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवेदन प्राप्त करने तथा उसे नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि किसी निर्वाचक का नाम बगैर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये निर्वाचक सूची से विलोपित कर दिया गया है तो जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उनके द्वारा निर्वाचन में गैरकानूनी व्यय को नियंत्रित करने हेतु की जा रही कार्रवाईयों से अवगत कराया गया। उनके द्वारा आयकर विभाग, पुलिस, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सी0आई0एस0एफ0, रेलवे एवं बैंक द्वारा इस निर्वाचन के लिए की जा रही कार्रवाईयों की जानकारी दी गयी तथा बताया गया कि आयकर विभाग द्वारा पटना सहित बिहार के अन्य सीमावर्ती राज्यों के हवाई अड्डों की निगरानी की जायेगी, रेल पुलिस द्वारा राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, उत्पाद विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख चेकपोस्टों, बॉटलिंग प्लांट आदि की 24 X 7 सी0सी0टी0वी0 से निगरानी की जायेगी। इसके अतिरिक्त सभी जिलों के हेल्पलाईन नंबर, निर्वाचन व्यय के नोडल पदाधिकारी का नाम एवं नंबर, आयकर विभाग के नंबर का विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा प्राप्त किसी भी शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई की जायेगी। विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा जिन बिन्दुओं को बैठक के दौरान विचारार्थ रखा गया है उस पर हरसंभव कार्रवाई की जायेगी।

****